Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

नागरिकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उत्तरदायित्व

पूजा वर्मा
सहायक प्रोफेसर, मैंगोलंगनबी कॉलेज, निंगथौखोंग, मणिपुर, भारत

सार
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि यह मानवीय गतिविधियों की देन है। 1970 के दशक की शुरुआत से ही वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने लगी थी। इसी अवधि में पर्यावरण नीति का दृष्टिकोण पारंपरिक "एंड–ऑफ–पाइप" समाधानों से हटकर रोकथाम और नियंत्रण आधारित रणनीतियों की ओर अग्रसर हुआ। जनसंख्या वृद्धि और तीव्र प्रौद्योगिकीय विकास ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरणीय चिंताओं को गंभीरता से उठाया गया। भारत में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर विभिन्न विधिक और नीतिगत उपायों को अपनाया गया है। प्रारंभिक चरणों में पर्यावरणीय कानूनों का निर्माण तब हुआ जब प्रदूषण की समस्या देश में व्यापक रूप से नहीं फैली थी। जैसे–जैसे वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय सरोकार गहरे होते गए, भारत ने भी अपने संविधान में संशोधन कर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। विशेष रूप से 1980 के दशक में यह विचार जोर पकड़ने लगा कि विकास की परिभाषा में न केवल आर्थिक प्रगति, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा भी शामिल होनी चाहिए।

मुख्य शब्द – पर्यावरण, विधान और नीति,

1947 में भारत की स्वतंत्रता से पहले भी कुछ पर्यावरणीय कानून विद्यमान थे, किंतु एक सुव्यवस्थित और व्यापक पर्यावरणीय ढांचे की प्रेरणा वास्तव में 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के पश्चात मिली। इस ऐतिहासिक घोषणा के प्रभावस्वरूप, भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण नीति एवं योजना परिषद की स्थापना 1972 में की। यह परिषद 1985 में परिवर्तित होकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रूप में स्थापित हुई, जो आज देश में पर्यावरण संरक्षण और उसके विनियमन हेतु सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था है। आज आवश्यकता है कि नागरिकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न हो, जिससे वे पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। प्रस्तुत शोध पत्र विभिन्न द्वितीयक स्रोतों जैसेकृ पुस्तकों, शोध लेखों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों पर आधारित है। एकत्रित आंकड़ों का

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

विश्लेषण विभिन्न स्रोतों से स्थिर विश्लेषणात्मक तकनीकों द्वारा किया गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण कानूनों और नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके।

स्टॉकहोम सम्मेलन के उपरांत भारत में पर्यावरणीय सरोकारों को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राज्य की नीतियों के निदेशक सिद्धांतों में स्थान दिया गया और साथ ही इसे नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में भी सम्मिलित किया गया। 1970 के दशक के पश्चात, भारत में पर्यावरण कानूनों का एक व्यापक तंत्र विकसित हुआ है। पर्यावरण मंत्रालय (MoEF) तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) मिलकर पर्यावरणीय नियमन और प्रशासन का मुख्य ढांचा निर्मित करते हैं। इसके अतिरिक्त, विधायी प्रावधानों के अनुपूरक रूप में एक संगठित नीतिगत ढांचा भी विकसित किया गया है। पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने 1992 में प्रदूषण निवारण हेतु नीति वक्तव्य तथा राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति एवं पर्यावरण विकास नीति वक्तव्य जारी किया। इसके पश्चात, 1993 में पर्यावरणीय क्रियान्वयन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य विकासात्मक कार्यक्रमों में पर्यावरणीय तत्वों को एकीकृत करना और पर्यावरणीय सेवाओं में सुधार लाना था। सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न क्षेत्र–विशिष्ट नीतियाँ भी लागू की गई हैं, जिनकी विस्तृत चर्चा संबंधित अध्यायों में की गई है। ये सभी प्रयास भारत में पर्यावरण संरक्षण को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित हुए हैं।

वायु प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की स्थापना की गई थी। यह अधिनियम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और उसमें कमी लाने हेतु कानूनी साधन प्रदान करता है। इसके अंतर्गत, प्रदूषणकारी ईंधनों और पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के साथ–साथ वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले यंत्रों एवं उपकरणों का विनियमन भी किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत, प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, राज्य बोर्डों को वायु की गुणवत्ता की जांच करने, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का निरीक्षण करने और विनिर्माण प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने का दायित्व सौंपा गया है।

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक) को अप्रैल 1994 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया। इन मानकों को इस प्रकार तैयार किया गया कि वे जनस्वास्थ्य, वनस्पति और संपत्ति की रक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा मार्जिन सुनिश्चित करें । विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों जैसे औद्योगिक, आवासीय, ग्रामीण और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अलग–अलग मानकों

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, लौह एवं इस्पात संयंत्रों, सीमेंट उद्योग, उर्वरक इकाइयों, तेल शोधन संयंत्रों और एल्युमीनियम उद्योग के लिए विशेष उत्सर्जन मानक भी विकसित किए गए हैं। भारत में निर्धारित वायु गुणवत्ता मानक, कई विकसित और विकासशील देशों में अपनाए गए मानकों के समकक्ष हैं। वायु प्रदूषण की गंभीर आपात स्थितियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए 1987 में वायु अधिनियम में संशोधन किया गया। इस संशोधन ने केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को आपातकालीन स्थितियों में तत्काल कार्रवाई करने तथा खर्च की वसूली करने का अधिकार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया कि यदि उद्योग अधिनियम में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करता है तो बोर्ड अनुमति को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यह अधिनियम भारत में वायु गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कानून के रूप में स्थापित हुआ है।

निष्कर्षः–

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारत में पर्यावरण कानूनों का नेटवर्क तो व्यापक है, लेकिन इन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन अब भी एक चुनौतीपूर्ण विषय बना हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण पर्यावरणीय व्यवस्था का पारंपरिक आदेश और नियंत्रण (Command and Control) स्वरूप है, जिसमें लचीलेपन और व्यावहारिकता का अभाव है। इसके साथ–साथ, कानूनों में अक्सर सर्व या कुछ नहीं (All&or&Nothing) दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो उल्लंघनों की तीव्रता या सीमा पर ध्यान नहीं देता। दंड (जुर्माना) अक्सर एक समान रूप से लगाया जाता है, जिससे उद्योगों को प्रदूषण के स्तर को निर्धारित सीमा से नीचे लाने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता। हाल के वर्षों में, इन खामियों को दूर करने के लिए कुछ नई पहलों की शुरुआत की गई है। 1992 में रियो सम्मेलन से पूर्व, भारत सरकार ने प्रदूषण उन्मूलन हेतु नीति वक्तव्य जारी किया जिसमें यह घोषणा की गई कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बाजार–आधारित दृष्टिकोण (डंतामज–ठेंमक ।चचतवंबी) को अपनाया जाएगा। इस नीति में यह भी कहा गया कि निवारक उपायों को बढ़ावा देने, प्रदूषण की लागत को उत्पादक पर आंतरिक करने (Internalization of Environmental Costs), और जल जैसे संसाधनों के संरक्षण के लिए आर्थिक उपकरणों (Economic Instruments) को प्रयोग में लाया जाएगा। 1995 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य बाजार–आधारित उपायों का मूल्यांकन करना था। इस समिति ने औद्योगिक प्रदूषण को घटाने के लिए ऐसे उपायों की जोरदार सिफारिश की। इसके बाद, पारंपरिक नियंत्रण उपायों के साथ–साथ विभिन्न आर्थिक प्रोत्साहन भी प्रयोग में लाए गए, जैसेः

मूल्यह्रास भत्ता उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क से छूट (स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु सुलभ ऋण व्यवस्था एक और प्रमुख बदलाव यह देखने को मिला कि प्रदूषण नियंत्रण अब

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

केवल ष्एंड–ऑफ–पाइपष् (End–of–Pipe) उपायों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदूषण के स्रोत पर रोकथाम को प्राथमिकता दी जाने लगी है। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में रिमोट सेंसिंग (Remote Sensing) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) जैसी तकनीकों की भूमिका भी निरंतर बढ़ रही है। ये उपकरण अब निर्णय–निर्माण और नीति–प्रवर्तन में एक सशक्त माध्यम बन चुके हैं, जिससे पर्यावरणीय समस्याओं की सटीक निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन संभव हो सका है। इस प्रकार, भारत में पर्यावरणीय नीतियों के विकास ने परंपरागत विधियों से आगे बढ़ते हुए आधुनिक, तकनीक–समर्थ और बाजार–आधारित उपायों की ओर रुख किया है, जिससे भविष्य में स्थायी पर्यावरणीय प्रबंधन की संभावनाएं और अधिक सशक्त होती जा रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूचिः–

1. शर्मा, बी.एल. (1989). *कृषि भूगोल.* साहित्य भवन आगरा. पृ0सं0 – 155
2. Najumaul. Karim (1961). *Change in Society of Indian and Pakistan*. Ideal Pub, P- 30
3. गायत्री, पी., और नौतिपाल, आर. (2006). *पर्यावरण भूगोल नियोजन* . शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद. पृ0स0 – 273
4. सिंह, एस. (2011). *पर्यावरण भूगोल.* प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद. पृ0स. 485
5. गायत्री, पी., और नौतिपाल, आर. (2006). *पर्यावरण भूगोल.* शारदा पुस्तकालय भवन. पृ0सं0 – 208
6. गायत्री, पी., और नौतिपाल, आर. (2006). *पर्यावरण भूगोल.* शारदा पुस्तकालय भवन. पृ0सं0 – 309